



किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट



रजि. नं०- 167/21 इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट किसान मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए एक पहल

पत्रांक-KMUT/01/2021

(पेज संख्या टोटल 13)

दिनांक-30/12/2021

किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट समाज की मानवता के लिए समाज का समाज के द्वारा समाज के लिए जुड़े हुए सदस्यों का परिवार है जिसमें सदस्य की आसामायिक आकस्मिक मृत्यु होने परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट होने पर उसके परिवार के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहायता पहुंचा कर मदद करने हेतु किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सभी सदस्यों के लिए योजना चालू की गई है

किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट परिवार के वैधानिक दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सभी सदस्य मिलकर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा निर्धारित धनीराशि एवं समयावधि में सहयोग करके नॉमिनी के खाते में 21 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना

वैधानिक सदस्य की परमानेंट 100% डिसेबिलिटी होने पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सभी सदस्य मिलकर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा निर्धारित धनीराशि एवं समय अवधि में सहयोग करके सदस्य एवं उसके परिवार के नॉमिनी के खाते में 21 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना

वैधानिक सदस्य की गंभीर बीमारी गंभीर/ एक्सीडेंट में किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सभी सदस्य मिलकर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा निर्धारित धनी राशि समय अवधि में सहयोग करके सदस्य एवं उसके परिवार के नॉमिनी के खाते में 5 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराना

सदस्यता शुल्क ₹200 पर 51000 हजार तक का एक्सीडेंटल इलाज उपलब्ध कराना

किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट में भारत का कोई भी जिसकी उम्र 18 से 52 आयु वर्ग तक के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट कर्मी संविदा कर्मी प्राइवेट स्कूल डिग्री कॉलेज हॉस्पिटल कॉरपोरेट सेक्टर के प्राइवेट कर्मी बिजनेस मैन छात्र किसान मजदूर दुकानदार व्यवसाय कर्मी एडवोकेट पत्रकार आदि सभी जोड़ सकते हैं किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट में वेबसाइट के माध्यम से नियमावली एवं शर्तों से सहमत होने पर स्वयं रजिस्ट्रेशन व सदस्यता शुल्क जमा करके जोड़ सकते हैं

किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट की स्थापना 30 दिसंबर 2021 को मजदूरों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक दिलाने हेतु प्रयास करना।

शिक्षा का प्रसार करना – ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुख कौशल उपलब्ध कराना।

जागरूकता अभियान चलाना – स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सरकारी योजनाओं और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना।

स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना – किसानों और मजदूरों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर व बीमा योजना जैसी सेवाएँ चलाना।

आर्थिक उन्नति हेतु कार्य करना – सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने के अवसर पैदा करना।

किसानों और मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति व सहायता – मेधावी व गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए सहयोग देना। संकट की घड़ी में सहायता – प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में पीड़ितों को राहत व सहायता प्रदान करना। सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना – जाति, धर्म या क्षेत्र से ऊपर उठकर किसानों और मजदूरों में एकता पैदा करना।

{1} सदस्य बनने की शर्तें

(A) भारत का नागरिक हो

(B) आयु सीमा 18 वर्ष से 52 वर्ष रजिस्ट्रेशन करते समय सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से कम या 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

(C) किसी अन्य संस्था से जुड़ा सदस्य भी किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट की सदस्यता प्राप्त कर सकता है वह लाभ प्राप्त कर सकता है

(2) सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया

[A] सदस्यता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन एवं वार्षिक सदस्य शुल्क 200 का भुगतान वेबसाइट के माध्यम से करना अनिवार्य होगा किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के अकाउंट में भुगतान करके स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन आईडी अपनी आईडी में लोड करना होगा अथवा वार्षिक शुल्क 200 का भुगतान वेबसाइट के पेमेंट गेटवे माध्यम से होगा

(B) वार्षिक सदस्यता ₹200 शुल्क अनिवार्य होगी

(C) सदस्यता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन में जो वार्षिक सदस्यता शुल्क स्वयं परिवार या मित्र के द्वारा परिवार के सदस्य के द्वारा किसी माध्यम से भी किया जा सकता है

[D] सदस्यता शुल्क रजिस्ट्रेशन करने के दौरान ही जमा करना होगा अन्यथा आपकी सदस्यता स्वीकार नहीं होगी वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹200 रूपये अनिवार्य होगा

[E] वार्षिक सदस्यता शुल्क 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा 1 वर्ष बाद प्रथम वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक को पुन वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करना होगा

[F] सदस्यता शुल्क वार्षिक धनराशि को राष्ट्रीय लेवल व प्रदेश लेवल के विचार विमर्श से राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा घटाया और बढ़ाया जा सकता है

(3) सदस्यता समाप्त होने संबंधी नियम

[A] सदस्य की उम्र 52 वर्ष पूरी होने पर

[B] सदस्य पर कोर्ट द्वारा अपराध सिद्ध होने पर

[C] संस्था के खिलाफ संयंत्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर

[D] वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन अधिक होने पर सदस्य वैलिड एवं वैधानिक सदस्य नहीं रहेगा

[E] एक्सीडेंटल क्लेम में एक्सीडेंटल इलाज /परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के कूटरचित दस्तावेज बनाकर लाभ लेने का प्रयास करते हैं पर संस्था द्वारा सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी

(4) प्राप्त सदस्यता शुल्क संबंधी नियम

[A] सदस्य शुल्क की धनराशि संस्था के संचालन में वेबसाइट डेवलपमेंट

[B] कर्मचारियों की सैलरी में

[C] ऑफिस के खर्च संबंधित

[D] मृतक सदस्य एक्सीडेंटल वेरिफिकेशन में खर्च की जाएगी

[E] एक्सीडेंटल क्लेम

[F] धनराशि का प्रयोग किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के वैधानिक सदस्य का एक्सीडेंटल होने पर अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे के लिए एडमिट होने पर 51000 हजार रुपए तक खर्च होने पर खर्च होने वाली धनराशि किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा वेरिफिकेशन के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी

[G] दुर्घटना क्लेम सहायता राशि संस्था के पास सदस्यता शुल्क पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर ही दी जाएगी

(5) एक्सीडेंटल इलाज सहायता नियम

[A] सदस्यता प्राप्त सदस्य का एक्सीडेंट होने पर अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे के लिए एडमिट होने पर 51 हजार रुपए तक खर्च होने पर खर्च होने वाली धनराशि किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा वेरिफिकेशन के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी

[B] अस्पताल में इलाज शुरू होने पर परिवार के सदस्य द्वारा किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट को सूचना प्रेषित करनी होगी

[C] सदस्यता प्राप्त होने के बाद 90 दिन लॉक इन पीरियड के बाद सहायता प्राप्त होगी

[D] इलाज के दौरान खुद या परिवार के सदस्य अन्य सक्रिय सदस्य जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष को किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट की वेबसाइट के माध्यम से सूचना देनी होगी जिस समय पर भौतिक सत्यापन किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा कराया जा सके व अति शीघ्र मदद पहुंचाई जा सके

[E] इलाज के दौरान खत्म होने पर वेबसाइट के माध्यम से किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट को जीएसटी बिल सहित निश्चित फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध करानी होगी इलाज के बाद सूचना देने पर सघन निरीक्षण के पश्चात जांच टीम की व्याख्या के आधार पर एक्सीडेंटल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी सहायता

[F] संस्था की वेबसाइट के माध्यम से अस्पताल के पर्चे एवं जीएसटी बिल सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी

[G] आवेदन प्राप्त होने के दो माह के अंदर वेरिफिकेशन के उपरांत वैलिड और इनवैलिड का निर्णय लेकर सदस्य अथवा सदस्य के परिवार को ऑनलाइन चेक के माध्यम से पेमेंट उपलब्ध कराया जाएगा

[H] दुर्घटना के मामले में किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट सदस्य अपेक्षा करता है कि यदि इलाज की धनराशि किसी इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त कर ली हो तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल क्लेम रजिस्ट्रेशन ना करें क्योंकि इस धनराशि का प्रयोग किसी अन्य के सदस्य के काम आ सकता है

[I] वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक से 1 वर्ष से अधिक होने पर सदस्य वैलिड यूं वैधानिक सदस्य नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल इलाज सहायता संस्था द्वारा नहीं की जाएगी

10 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा साल में सिर्फ एक बार ही एक्सीडेंटल क्लेम का भुगतान कर पाना संभव है

11 दुर्घटना सहायता राशि किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराई जाएगी

12 पर्याप्त धनराशि न उपलब्ध होने का प्रमाण भी किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट को उपलब्ध करायेगा

13 अस्पताल में एडमिट रहते ही यदि वैलिड सदस्य का 51000 का बिल बन जाता है तो सदस्य को वेबसाइट के माध्यम से एक्सीडेंटल क्लेम जीएसटी बिल सहित प्रस्तुत कर देना चाहिए जिससे कि अति शीघ्र धनराशि उपलब्ध होने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके

14 एक्सीडेंटल में हॉस्पिटल का खर्चा 51000 से अधिक आता है तो संस्था द्वारा अधिकतम 51000 की ही मदद की जाएगी

15 आदरणीय मामले में नियमानुसार किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के हित सदस्य के हित को देखते हुए राष्ट्रीय लेवल का प्रदेश लेवल व जिला लेवल की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा

16 एक्सीडेंटल इलाज सहायता वर्ष में एक बार ही एक वैलिड सदस्य को देय होगी

17 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट की सभी योजनाओं में 80% का सहयोग करने वाले वैलिड सदस्य एक्सीडेंटल इलाज के लिए पात्र होंगे

18 सदस्य द्वारा एक्सीडेंटल क्लेम की अधिक धनी राशि का दावा प्रस्तुत करने पर मेडिकल टीम द्वारा आकलन के पश्चात वास्तविक धनराशि खाते में प्रेषित की जाएगी

[6] नॉमिनी को सहयोग प्राप्त होने संबंधी नियम

1 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट में सदस्यता प्राप्त करने के 6 माह 120 दिन का लॉक इन पीरियड रहेगा तात्पर 1 जनवरी 2025 को सदस्यता प्राप्त करने वाले सदस्य की मृत्यु 30 जून रात 12:00 बजे तक होती है तो नॉमिनी को सहयोग नहीं प्राप्त होगा किंतु 1 जुलाई 2025 को होती है तो नॉमिनी को सहयोग कराया जाएगा

2 लॉक इन पीरियड में मृत्यु होने पर नॉमिनी द्वारा सहयोग दवा नहीं किया जा सकता है लॉक इन पीरियड में सहयोग किया जाने का प्रावधान नहीं होगा

3 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के पास समय-समय पर राष्ट्रीय लेवल प्रदेश लेवल जिला लेवल के आग्रह पर लॉक इन पीरियड में परिवर्तन किया जा सकता है

4 सामान्य बीमारी की स्थिति में सदस्य की मृत्यु पर सहयोग के लिए 120 दिन का लॉक इन पीरियड रहेगा सामान्य बीमारी से तात्पर्य गंभीर बीमारी को छोड़कर सामान्य बीमारी से मृत्यु की सूची फर्स्ट हार्ट अटैक से मृत्यु, फर्स्ट ब्रेन हेमरेज से मृत्यु, हीट स्ट्रोक मृत्यु, कोल्ड स्ट्रोक से मृत्यु, पथरी की समस्या से मृत्यु, सामान्य ऑपरेशन ऑपरेशन से मृत्यु, रसो पीड़ा प्रसव के ऑपरेशन के दौरान मृत्यु, आंख नाक कान गले के ऑपरेशन के दौरान मृत्यु (नॉन कैंसर)

5 एक्सीडेंट होने पर इलाज के दौरान हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लिवर इनफेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन आदि से मृत्यु होने पर सामान्य बीमारी का केस माना जाएगा

6 गंभीर बीमारी का लॉक इन पीरियड 2 वर्ष होगा कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, ब्रेन हेमरेज (प्रथम को छोड़कर) हार्ट अटैक (प्रथम को छोड़कर) ब्रेन ट्यूमर, फेफड़े का ट्यूमर, हेपेटाइटिस सी

7 मृत्यु का कारण वेरिफिकेशन यू जांच की प्रक्रिया के उपरांत गंभीर एवं सामान्य बीमारी का स्पष्ट ना होने पर मृतक परिवार के सदस्य के हित को देखते हुए सामान्य बीमारी में रखा जाएगा लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा

8 गंभीर बीमारी से पीड़ित सदस्य की मृत्यु यदि दुर्घटना जैसे सड़क दुर्घटना ट्रेन दुर्घटना हवाई जहाज दुर्घटना आग लगने लू लगने छत से गिरने झरने नदी तालाब समुद्र में डूबने आदि से होती है तो सामान्य दुर्घटना माना जाएगा गंभीर बीमारी का नहीं

9 सदस्य की कैंसर किडनी लीवर खराब जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा हो और गंभीर बीमारी के लॉक इन पीरियड में सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार यू नॉमिनी द्वारा यदि हार्ट अटैक या सामान्य बीमारी से मृत्यु का दावा किया जाता है तो अस्पताल द्वारा जरूर मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेखित कारण अंतिम साक्षी मान जाएगा

10 गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के नॉमिनी द्वारा कारण कुछ और दर्शाया जाता है तो परिवार अथवा नॉमिनी द्वारा दर्शाए गए कारण का सबूत अथवा प्रमाण प्रस्तुत करना होगा किंतु किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के पास गंभीर बीमारी के सबूत प्रमाण बयान होने पर सहयोग नहीं होगा परंतु नियत समय सीमा में टीम सबूत नहीं इकट्ठा कर पाती है तो मृतक परिवार के साक्ष्य के आधार पर नॉमिनी को किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा सहयोग उपलब्ध कराना बाधकारी होगा

11 सदस्यता प्राप्त सदस्य को वैधानिक सदस्य बने रहने के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए सभी सहयोग निर्धारित समय में करना होगा सहयोग न करने पर सदस्य वैधानिक सदस्य नहीं होगा ऐसी स्थिति में नॉमिनी सहयोग का पात्र नहीं होगा

12 सुसाइड जैसे आग लगा लेना फांसी लगा लेना छत से कूद जाना ट्रेन के आगे कूद कर जान देना आज प्रूफ प्राप्त होने पर संस्था द्वारा सहयोग नहीं कराया जाएगा

13 वैधानिक सदस्य के नॉमिनी अथवा परिवार द्वारा सदस्य का मर्डर हत्या छत से फेंक कर मार देने जहर देने फांसी में लटकने आदि केस में नॉमिनी को सहयोग नहीं किया जाएगा पुलिस जांच कोर्ट केस में गतिमान केस में सहयोग नहीं होगा पुलिस जांच क्यों कोर्ट केस से निर्णय के आधार पर सहयोग संस्था द्वारा कराया जाएगा

14 वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक से एक वर्ष से अधिक होने पर सदस्य वैलिड हुआ वैधानिक सदस्य नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में नॉमिनी सहयोग का पात्र नहीं होगा

15 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट से लाभ पाने के लिए किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सदस्य को मार देने अथवा मरवा देने की पुष्टि होने पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा सहयोग नहीं कराया जाएगा

16 मृतक नॉमिनी अथवा परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस में सहयोग में से किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा एक ही सहयोग कराया जा सकता है

17 वैधानिक सदस्य द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चुने गए विकल्प के ही आधार पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा अंतिम निर्णय मानकर सहयोग कराया जाएगा

18 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट की सभी योजनाओं में 80% का सहयोग करने वाले वैलिड सदस्य पात्र होंगे

भाग G, सदस्य द्वारा सहयोग छूटने संबंधी नियम

1 संस्था द्वारा जारी कुल सहयोग का 80 परसेंट करना अनिवार्य होगा

किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सदस्य की मृत्यु होती है जो कि लंबे समय से टीम में जुड़ा है जिसने लॉक इन पीरियड पूरा कर लिया है यदि कोई सहयोग छूट जाता है तो किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा सदस्यता प्राप्त दिनांक से जारी किए गए सहयोग एवं सदस्य द्वारा किए गए कुल सहयोग का 80% अथवा 80% से अधिक होना चाहिए सदस्य के सहयोग का प्रतिशत 79.60 होता है तो संस्था सहयोग करने के लिए बाध्यकारी होगी यदि सहयोग का परसेंट 79.9 है तो संस्था द्वारा सहयोग नहीं कराया जाएगा

2 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट में सदस्यता प्राप्त करने के उपरांत किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा जारी मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग लंबे समय तक नहीं करता है तो सदस्य को कुल सहयोग का 80% पूरा करना कठिन होगा ऐसी स्थिति में सदस्यता प्राप्त सदस्य पूर्ण वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करके रजिस्ट्रेशन एवं सदस्यता रेनूअल कर सकता है

3 जैसे जुलाई में सदस्यता प्राप्त करने के उपरांत किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा जारी 10 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग नहीं करता है और 11वीं में मृतक नॉमिनी सहयोग से सहयोग करना प्रारंभ करता है तो 80% सहयोग पूरा करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा ऐसी स्थिति में पुन्य वार्षिक सदस्यता शुल्क को जमा करके रजिस्ट्रेशन करके सदस्यता रेनवाल कर सकता है

4 किसी वैधानिक सदस्य की गतिमान सहयोग के दौरान सहयोग शुरू होने की तिथि से खत्म होने की तिथि तक मृत्यु होने पर सहयोग करने का पात्र माना जाएगा क्योंकि संस्था द्वारा माना जाएगा कि वह जीवित होते तो पूर्व के भांति सहयोग करते

5 अनिलित मामले में नियमानुसार किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के हित सदस्य के हित को देखते हुए राष्ट्रीय कोर कमेटी की अनुमति से अंतिम निर्णय होगा

भाग H मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोगी तहसील अपलोड संबंधी नियम

- 1 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में नॉमिनी को सहयोग सीधे नॉमिनी के खाते में किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा कराया जाएगा
- 2 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी/ गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में दावा प्रस्तुत करते समय आवश्यकता अनुसार खाते की डिटेल्स उपलब्ध करानी होगी
- 3 सदस्य द्वारा मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी/ गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में निर्धारित धनराशि नॉमिनी के खाते में भेज कर ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट को वेबसाइट अथवा ऐप के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य होगा
- 4 सदस्य स्वयं के द्वारा परिवार के सदस्य के द्वारा मित्र के द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से भी सहयोग करवा के रसीद और ट्रांजैक्शन आईडी अपलोड करवा सकता है
- 5 नॉमिनी सहयोग के दौरान निर्धारित समय सीमा में सहयोग न हो पाने की स्थिति में सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा निर्धारित समय सीमा में सहयोग न कर पाने की स्थिति में अंतिम अवसर प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वेबसाइट के माध्यम से सहयोग निश्चित समय सीमा में बंद हो जाएगा
- 6 नॉमिनी को सहयोग में सदस्य द्वारा कूट रचित फर्जी रसीद अथवा ट्रांजैक्शन आईडी लोड करने पर वैधानिक सदस्यता समाप्त हो जाएगी एवं सदस्य के नॉमिनी लाभ से वंचित रह जाएंगे
- 7 सहयोग के दौरान या उसके बाद किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक धनराशि नॉमिनी के खाते में भेज दी जाती है तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वह धनराशि खाते में परिवार की भांति मानवी दृष्टिकोण देखते हुए वापस करना होगा

भाग i नॉमिनी संबंधी नियमावली

- 1 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सदस्य को नॉमिनी बदलने का अधिकार होगा सदस्य को वेबसाइट के माध्यम से नॉमिनी संशोधन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनका वेरिफिकेशन करने के उपरांत किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के कार्यालय द्वारा किया जाएगा
- 2 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सदस्य की मृत्यु होने के उपरांत यदि नॉमिनी संशोधन पर प्रस्तुत किया जाता है तो अमान्य होगा
- 3 नॉमिनी बनाने का संपूर्ण अधिकार किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सदस्य को होगा
- 4 सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी को ही किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट सहयोग कराएगा
- 5 सदस्य द्वारा एक ही नॉमिनी बनाया जाता है तो केवल एक ही नॉमिनी को सहयोग किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा प्रदान करवाया जाएगा मृत्यु के उपरांत नॉमिनी अतिरिक्त किसी को भी सहयोग दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा
- 6 सदस्य द्वारा एक से अधिक नॉमिनी बनाए जाते हैं तो सभी नॉमिनी का किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा सहयोग कराया जाएगा जिस पर सभी नॉमिनी का बराबर का अधिकार होगा
- 7 एक नॉमिनी होने पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा नॉमिनी के बचत खाते में सहयोग कराया जाएगा
- 8 एक नॉमिनी से अधिक होने पर सहयोग से पूर्व सभी नॉमिनी को मिलकर एक संयुक्त ज्वाइंट सेविंग अकाउंट खाता खुलवाना होगा जिसमें सभी नॉमिनी के हस्ताक्षर से पैसा निकलेगा जिसमें ही किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट की तरफ से सहयोग कराया जाएगा
- 9 एक से अधिक नॉमिनी होने पर नॉमिनी सदस्य द्वारा एक ही नॉमिनी के एकल खाते में सहयोग करवाने हेतु अन्य नॉमिनी को नो ऑब्जेक्शन का है एफिडेविट देना होगा

- 10 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट में एक ही परिवार के दो सदस्य जुड़े हो दोनों ने एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना रखा है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को एक ही सहयोग प्राप्त होगा इसलिए नॉमिनी बनाते समय ध्यान रखें
- 11 सदस्य के द्वारा बनाए गए नॉमिनी के अतिरिक्त परिवार के सदस्य पर सहयोग की गई धनराशि पर कोई अधिकार नहीं होगा
- 12 मामले में नियमानुसार किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए राष्ट्रीय कमेटी की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा

भाग J सूचना संबंधी नियमावली

- 1 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य को फेसबुक पेज इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैनल यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप व वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी
- 2 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना सदस्य के लिए स्वैच्छिक रहेगा लेकिन सदस्य द्वारा या दवा नहीं किया कि उसे सूचना प्राप्त नहीं हो रही है
- 3 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट समूह द्वारा सदस्यों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9454786621 जिसमें व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जानकारी आदान-प्रदान किया जाएगा
- 4 सहायता हेल्पलाइन का समय शुरुआत में सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक रहेगा
- 5 संसाधन एवं सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ सहायता हेल्पलाइन को 24 * 7 कर दिया जाएगा

#मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग संबंधी नियमावली

- 1 सदस्य की मृत्यु परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट होने पर 1 माह के अंदर नॉमिनी को वेबसाइट के माध्यम से दावा प्रस्तुत करके आवेदन नंबर प्राप्त करना होगा
- 2 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग दावा वेबसाइट के माध्यम से परिवार के सदस्य परिवार के नॉमिनी, मित्र किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के स्टाफ द्वारा किया जा सकता है
- 3 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग दावा प्रस्तुत करने के दिनांक से दो माह में किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट मृतक सदस्य यू नॉमिनी वेरिफिकेशन संबंधी जांच प्रक्रिया को पूर्ण करेगा
- 4 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट यू नॉमिनी वेरिफिकेशन संबंधी जांच प्रक्रिया के उपरांत किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट राष्ट्रीय टीम प्रदेश टीम की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा वेलिड और इनवेलिड सदस्य होने की सूचना नॉमिनी को उपलब्ध कराएगी
- 5 वेलिड और इनवेलिड होने का जिक्र पत्र में किया जाएगा
- 6 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में सदस्य के वेलिड होने पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा सहयोग कराए जाने का संभावित माह बताया जाएगा
- 7 संभावित माह में किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा सहयोग पूर्ण करवा दिया जाएगा
- 8 वेलिड होने पर मृत्यु दावा प्रस्तुत होने के 6 माह के अंदर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा सहयोग आवश्यक रूप से करवा दिया जाएगा

9 मृत्यु तिथि परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट तिथि तथा आवेदक के अनुसार सहयोग का रहेगा

10 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट संबंधी दावा देर से प्रस्तुत करने के लिए नॉमिनी जिम्मेदार होगा

11 अनिरुद्ध मामले में नियमानुसार किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए राष्ट्रीय टीम प्रदेश टीम की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा

#मृतक नोमिन ए परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग समय एवं धनराशि संबंधी नियम

1 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग माह की 20 तारीख से शुरू होकर अगले माह की 20 तारीख तक कराया जाएगा उदाहरण 20 जनवरी माह में होने वाला सहयोग 20 जनवरी से स्टार्ट होकर 20 फरवरी तक चलेगा

2 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग के समय एवं धनराशि में नियमानुसार किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए राष्ट्रीय टीम की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष समय यूं धनराशि को घटाया और बढ़ाया जा सकता है का निर्णय अंतिम होगा

3 इस दौरान सहयोग न कर पाने वाले सदस्यों के लिए कोई अंतिम अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा

4 मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग की तारीख एवं धनराशि की जानकारी किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट की वेबसाइट एवं किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त होती रहेगी

5 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सदस्य को मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग एवं अन्य सूचनाओं के लिए स्वयं अपडेट रहना होगा

6 मृतक नॉमिनी सहयोग परमानेंट 100% डिसेबिलिटी सहयोग के लिए प्रति सदस्य लगभग ₹200 या वर्तमान सदस्य की संख्या के आधार पर

गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट में किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के वर्तमान सदस्यों की संख्या के आधार पर सदस्य द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट तथा बिल के आधार पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक सदस्य द्वारा की जाने वाली सहयोग धनीराशि के लिए निर्णय लिया जाएगा

भ्रष्टाचार संबंधी नियम

1 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट को अपने वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में प्रदर्शित बनाए रखने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक सूचनाओं को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा

2 भ्रष्टाचारियों की किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट में कोई जगह नहीं होगी किसी पदाधिकारी सदस्य के द्वारा सहयोग करने के नाम पर पैसे मांगने पर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोबाइल नंबर एवं ईमेल व वेबसाइट के माध्यम से शिकायत करें सबूत रूप में वीडियो एवं वॉइस रिकॉर्ड कलेक्ट करने का प्रयास करें भ्रष्टाचार करने एवं प्रयास करने वाले पदाधिकारी को जांच के उपरांत सदस्यता एवं पद से निकाल दिया जाएगा

सदस्य द्वारा सहयोग अधिक होने संबंधी नियम

1 सहयोग के दौरान या उसके बाद किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक धनराशि नॉमिनी के खाते में भेज दी जाती है तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वह धनराशि खाते में परिवार की भांति मानवीय ट्रस्ट देखते ही वापस करना होगा

2 सदस्य द्वारा गलती से नॉमिनी के खाते में अधिक धनराशि भेजी जाने की वापसी की गारंटी किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट नहीं लेता है किंतु सार्थक पूर्ण प्रयास वापस करवाने हेतु करेगा

परमानेंट 100% विकलांगता संबंधी नियम

परमानेंट 100% विकलांगता का मतलब है की कोई व्यक्ति बीमारी छोटों के कारण काम करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक क्षमता इतनी गंभीर हो जाए की वह अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने में असमर्थ हो चाय और उसे हमेशा के लिए सहायता की आवश्यकता होती है किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा परमानेंट 100% स्टेबिलिटी माना जाएगा

- 1 बीमारी यूं गंभीर चोट के कारण 100% पूर्ण दृष्टि हानि होने पर दोनों आंखों की संपूर्ण रोशनी जाने पर
- 2 बीमारी गंभीर चोट के कारण के कारण दोनों हाथ अथवा दोनों पैर कट जाने की स्थिति में
- 3 संपूर्ण शरीर लकवा ग्रस्त हो जाने की स्थिति में शरीर का कोई अंग कार्य न कर पाने की स्थिति
- 4 मानसिक विकार यूं न्यूरोलॉजी की ऐसी स्थिति जिसमें संपूर्ण शरीर कार्य करने योग्य न रहे
- 5 एक्सीडेंटल अथवा बीमारी के कारण स्पाइनल कॉर्ड की ऐसी स्थिति जिसमें सदस्य बिस्तर से उठकर दैनिक क्रियाकलाप करने में आसक्षम
- 6 स्थित नंबर 1 2 3 4 5 में रजिस्ट्रेशन के समय ग्रसित होने पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा सहयोग नहीं कराया जाएगा
- 7 परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस में 2 वर्ष का लॉकिंग पीरियड रहेगा
- 8 बीमारी गंभीर चोट के कारण के कारण दोनों हाथ अथवा दोनों पैर कट जाने की स्थिति में 2 वर्ष के लोगों पीरियड के उपरांत आवेदन करने के पश्चात वेरिफिकेशन के उपरांत कितना होने में आवेदन करने के क्रम में सहयोग कराया जाएगा
- 9 बीमारी एवं गंभीर चोट के कारण 100% पूर्ण दृष्टि हानि होने पर दोनों आंखों की संपूर्ण रोशनी जाने पर घटना होने के दिनांक से एक वर्ष तक आंखों की रोशनी का इंतजार किया जाएगा किंतु आंख ही ना बच्चे बचाने पर बिना एक वर्ष का इंतजार किया किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा नियमानुसार सहयोग कराया जाएगा
- 10 लकवा ग्रस्त एवं कोमा की स्थिति में 1 वर्ष तक इलाज से फायदा होने का इंतजार किया जाएगा इस दौरान विकलांगता ग्रस्त सदस्य का देहांत हो जाता है तो मृतक नॉमिनी वाला सहयोग कराया जाएगा
- 11 परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा डिसेबिलिटी वाले वैधानिक सदस्य अथवा उसकी सहमत पर उसके नॉमिनी के खाते में सहयोग कराया जाएगा
- 12 परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस में सहयोग अथवा मृतक नॉमिनी सहयोग में से किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा एक ही सहयोग कराया जा सकता है
- 13 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट से जुड़े वैधानिक, वैलिड सदस्य को ही परमानेंट 100% डिसेबिलिटी पर सहयोग कराए जाने अथवा वैधानिक सदस्य की मृत्यु पर मृतक नॉमिनी को सहयोग कराए जाने का निर्णय लेने का अधिकार होगा
- 14 वैधानिक सदस्य की शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें कि स्वयं निर्णय किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट को देने में सक्षम ऐसी स्थिति में सभी नॉमिनी को निर्णय लेने का अधिकार होगा

15 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के समय सदस्य बनने वाले व्यक्ति को परमानेंट 100% डिसेबिलिटी मृतक नॉमिनी को सहयोग करने अथवा जीवन में वर्तमान स्थिति संबंधी विकल्प को चुनने का अधिकार होगा

16 वर्तमान स्थिति का विकल्प चुने जाने पर वैधानिक सदस्य की शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें कि किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट को देने में सक्षम हूँ ऐसी स्थिति में सभी नॉमिनी को निर्णय लेने का अधिकार होगा

17 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस में सहयोग कराए जाने के निर्णय को लेने का कारण ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आमदनी 100% रुक जाती है जिससे कि उसके घर की रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए भी सरकार 1 साल का मेडिकल देती है जिसमें की सैलरी आई है किंतु उसके बाद की स्थिति में बिना वेतन का अवकाश लेना पड़ता है जिसके कारण घर की जिम्मेदारियां अपनी दवा की व्यवस्था घर परिवार की रोटी कपड़ा मकान बच्चों की पढ़ाई माता-पिता की दवाई की सारी व्यवस्थाएं रुक जाएगी

18 आप सभी के सहयोग से नियमानुसार सहयोग होने के उपरांत यदि परमानेंट 100% डिसेबिलिटी में सहयोग प्राप्त सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है तो यह संपूर्ण टीम के लिए बहुत ही गौरव का विषय होगा

19 परमानेंट 100% डिसेबिलिटी पर सहयोग पाने वाला वैधानिक सदस्य सदस्य का परिवार सदस्य की जीवित रहते मानवता के आधार पर अन्य लोगों के लिए परमानेंट 100% डिसेबिलिटी पर एक मृत एक नॉमिनी को सहयोग करना चाहिए

20 मृतक नॉमिनी सहयोग परमानेंट 100% डिसेबिलिटी पर कूट दस्तावेज बनाकर लाभ लेने का प्रयास करने पर संस्था द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा कुछ रचित दस्तावेज बनाकर संस्था में लगाने के लिए एवं अनुचित लाभ लेने के लिए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी

21 अनंत मामले में नियमानुसार किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के हित व सदस्य के हित को देखते हुए राष्ट्रीय टीम व प्रदेश स्तर की टीम की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा

गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट संबंधी नियम

गंभीर बीमारी एवं गंभीर एक्सीडेंट में आपसी सहयोग से मान्यता परिवार के वैधानिक सदस्य को एस्टीमेट अथवा खर्च के आधार पर 5 लाख तक की इलाज सहायता प्राप्त करना

1 गंभीर बीमारी कैंसर लीवर सिरोसिस लिवर ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर किडनी ट्रांसप्लांट हार्ट की सर्जरी ब्रेन एंड न्यूरो सर्जरी स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी गंभीर फेफड़ा संक्रमण कोमा 100% पैरालाइज को शामिल किया गया है

2 गंभीर एक्सीडेंट में अंग भंग गंभीर विकृत शरीर के अंगों के स्थाई नुकसान अभिघातजन्य मस्तिक चोट रीढ़ की हड्डी में चोट स्थाई विकलांगता कुचले हुए अंग का विक्षेपण एक्सीडेंट के कारण ब्रेन सर्जरी न्यूरो सर्जरी स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी के स्थित एक्सीडेंट से संपूर्ण प्राइस की स्थिति को शामिल किया गया है

3 संदीप बीमारी के लिए 2 वर्ष का लॉकिंग पीरियड तथा गंभीर एक्सीडेंट के लिए एक साल 6 महीने का लॉकिंग पीरियड रहेगा

4 मृतक नवमी सहयोग परमानेंट 100% डिसेबिलिटी सहयोग गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में 80% सहयोग करने पर ही सदस्य योजना के लिए वैलिड होंगे 80% से कम सहयोग करने वाले सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होंगे सदस्यता प्राप्त करने के दिनांक से संस्था द्वारा कराया गए कल सहयोग के आधार पर परसेंटेज का आकलन किया जाएगा

5 एस्टीमेटेड धनराशि अथवा इलाज में खर्च में धरना सिक्का सहयोग किस मजदूरी इंटरैस्ट के सदस्यों के माध्यम से होगा एस्टीमेटेड धनराशि अथवा इलाज में खर्च हुई धनराशि या 5 लाख 5 से अधिक है तो संस्था द्वारा अधिकतम 5 लाख तक

का ही सहयोग होगा गंभीर बीमारी और गंभीर एक्सीडेंट में 2लाख अथवा एक लाख से अधिक खर्च पर ही सहायता उपलब्ध होगी

6 सहायता राशि क्योंकि वर्तमान सदस्यों की संख्या दिए गए दान पर निर्भर करेगी ऐस्टीमेटेड धनराशि एवं बिल धनराशि से कम और ज्यादा हो सकती है इसलिए गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट से ग्रसित व्यक्ति उसका परिवार तथा अन्य सदस्य 100% खर्च ऐस्टीमेटेड धनराशि के दावा नहीं कर सकता क्यों संस्था के ऊपर दबाव नहीं बना सकता संस्था पूरा प्रयास करेगी कि खर्च धनराशि से कम का सहयोग न हो लेकिन संस्था इसके लिए बाधिकारी नहीं होगी

7 गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहायता में सदस्य के आने वाले खर्च के अनुसार दान की जाने वाली धनराशि का निर्धारण किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा

8 वैधानिक सदस्य को गंभीर बीमारी एवं गंभीर एक्सीडेंट में इलाज के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसे गंभीर बीमारी सहायता गंभीर एक्सीडेंट सहायता के साथ मृतक नवमी सहयोग भी किया जाएगा

9 वैधानिक सदस्य को गंभीर बीमारी में गंभीर एक्सीडेंट में इलाज के बाद परमानेंट 100% स्टेबिलिटी हो जाती है तो उसे गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहायता के साथ परमानेंट 100% डिसेबिलिटी सहयोग भी किया जाएगा

10 प्रत्येक सदस्य द्वारा दान की जाने वाली धनराशि का निर्धारण गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट में खर्च हुई धनराशि जुड़े हुए कुल सदस्यों की संख्या देखते हुए किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा

11 गंभीर बीमारी में सदस्य की बीमारी डाइजेस्टिव होने पर अस्पताल द्वारा दिए गए कुल एस्टीमेट अथवा इलाज खत्म होने पर बिल के आधार पर वेबसाइट के माध्यम से क्लेम रजिस्ट्रेशन के दिनांक के क्रम में सहयोग किया जाएगा

12 गंभीर एक्सीडेंट में अस्पताल डॉक्टर द्वारा दिए गए कुल एस्टीमेट में अथवा इलाज खत्म होने पर बिल के आधार पर वेबसाइट के माध्यम से क्लेम रजिस्ट्रेशन के दिनांक के क्रम में सहयोग किया जाएगा

13 हॉस्पिटल एवं डॉक्टर के एस्टीमेट के आधार पर सहयोग होने पर इलाज के बाद वैलिड सदस्य अधिक खर्च का दोबारा क्लेम प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि सदस्यों द्वारा दोबारा सहयोग कर पाना संभव नहीं होगा

14 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा निर्धारित धनराशि एवं निर्धारित समय में सदस्यों द्वारा पीड़ित वैधानिक सदस्य के खाते में सीधे ऑनलाइन भेज कर ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट अपनी आईडी से लोड करना अनिवार्य होगा निश्चित निर्धारित समय में पेमेंट करने का उपरांत ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट लोड न करने पर सदस्य वैधानिक सदस्य नहीं रहेगा

15 गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट में किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट सदस्य से आशा करता है कि यदि इलाज किसी इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त कर ली हो तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल क्लेम रजिस्ट्रेशन ना करें आपके सहयोग का प्रयोग अन्य सदस्य के लिए किया जा सकता है जिससे हम सभी को सहयोग का अतिरिक्त भार कम होगा

16 वैलिड सदस्य इस योजना का लाभ 52 साल तक अधिकतम तीन बार ले सकता है किंतु प्रत्येक सहयोग के बीच में न्यूनतम 5 साल का अंतर होना आवश्यक है अस्पताल में भर्ती होने के दौरान का ही खर्च मान्य होगा

17 गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट का सहयोग प्राप्त होने के उपरांत अन्य वैलिड सदस्यों के लिए होने वाले मृतक नॉमिनी परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग नहीं करता है तो सदस्य वैलिड सदस्य नहीं रहेगा संस्थाओं की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा 80% सहयोग पूरा रखने पर सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता रहेगा

मृतक नॉमिनी एक्सीडेंटल इलाज सहायता परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी गंभीर एक्सीडेंट सहयोग संबंधी वेरिफिकेशन नियम

1 लॉकिंग पीरियड पूरा करने पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के मृतक सदस्य का केवल प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट लगेगी स्थिति स्पष्ट न होने पर मृतक सदस्य नॉमिनी की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चार स्तरीय होगी

2 मृतक नॉमिनी एक्सीडेंटली इलाज सहायता परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोगी संबंधी वेरिफिकेशन प्रक्रिया चार स्तरीय होगी

(A)प्राथमिक जांच रिपोर्ट (B) स्थलीय निरीक्षण (C) मेडिकल आख्या (D)फाइनल रिपोर्ट

प्राथमिक जांच रिपोर्ट का कार्य किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के स्टाफ सदस्यों द्वारा किया जाएगा जो की संस्था के लिए ऑफिस में रहकर कार्य भी कर रहे होंगे यू किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के सदस्य भी होंगे इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में वेरिफिकेशन करता द्वारा वेबसाइट के माध्यम से आंकड़े एवं साक्ष्य एकत्र जो सही होंगे

सदस्यता प्राप्त करने का प्रथम दिनांक...

सदस्यता प्राप्त करने का अंतिम रेनीवेल दिनांक...

सदस्य के सदस्यता प्राप्त दिनांक से मृतक नॉमिनी, एक्सीडेंटल परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट होने तक संस्था द्वारा कराए गए कुल सहयोग

4 प्रतिशत सदस्य द्वारा किए गए कुल सहयोग (घटना दिनांक तक) संस्था द्वारा कराए गए कुल सहयोग (घटना दिनांक तक) 100%

नोट यदि सदस्य की घटना किसी सहयोग के दौरान हुई है तो जो सदस्य द्वारा किए गए कुल सहयोग में एक जोड़ दिया जाएगा

टिप्पणी व्याख्या

स्थलीय निरीक्षण

- 1 स्थलीय निरीक्षण हेतु पांच सदस्य टीम का चयन राष्ट्रीय टीम प्रदेश टीम की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा
- 2 स्थलीय निरीक्षण की पूर्व सूचना सदस्य या नॉमिनी को मात्र एक दिन पूर्व दी जाएगी
- 3 स्थलीय निरीक्षण टीम को निर्धारित प्रारूप में जांच करने का स्वतंत्र अधिकार होगा
- 4 सदस्य परिवार के सदस्यों संबंधित व्यक्तियों को जांच में सहयोग करना होगा सहयोग न करने पर सदस्य लाभ निरस्त किया जा सकता है
- 5 आवश्यक होने पर स्थलीय निरीक्षण टीम द्वारा संबंधित अस्पताल , जगह का निरीक्षण किया जा सकता है प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लोगों के बयान भी लिए जा सकते हैं
- 6 पांच सदस्य निरीक्षण टीम द्वारा जांच आख्या निर्धारित दिनांक में पूरी करके वेबसाइट पर अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट एवं वीडियो आदि अपलोड करना होगा

मेडिकल आख्या

- 1 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट के डॉक्टर टीम द्वारा सदस्य अथवा नॉमिनी द्वारा उपलब्ध कराए गए मेडिकल दस्तावेज की जांच कर आख्या प्रस्तुत करेंगे

फाइनल रिपोर्ट

प्राथमिक जांच रिपोर्ट, स्थलीय निरीक्षण एवं मेडिकल आख्या के आधार पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट राष्ट्रीय कमेटी म प्रदेश कमेटी की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा वैलिड और इनवेलिड की घोषणा की जाएगी

- 2 किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश कमेटी की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा वैलिड और इनवेलिड होने के कारण सहित पत्र के माध्यम से सदस्य परिवार के सदस्य को अवगत कराया जाएगा

- 3 पत्र की एक प्रतिलिपि वेबसाइट में अपलोड की जाएगी

4 फाइनल जांच रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर नॉमिनी सदस्य को पुनः विवेचना करने का अधिकार होगा

नियमावली संशोधन संबंधी नियम

- 1 नियमावली में संशोधन वर्ष में एक बार केवल स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणा करके किया जाएगा
- 2 नियमावली में संशोधन के लिए वेबसाइट के माध्यम से आए हुए सुझाव को राष्ट्रीय टीम प्रदेश टीम व सदस्य के आए हुए सुझाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमत से निर्णय लिया जाएगा
- 2 साल में बार-बार नियमावली में संशोधन नहीं किया जाएगा
- 3 संस्था द्वारा नियमावली में संशोधन का नियम संशोधन दिनांक तक जुड़े हुए सदस्यों पर प्रभावी नहीं होगा संशोधन दिनांक के बाद जुड़े हुए सदस्यों पर नया संशोधन लागू होगा

पारदर्शिता संबंधी नियमावली

- 1 सदस्यता शुल्क आय व्यय का विवरण वेबसाइट पर किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा अपलोड किया जाएगा जिससे प्रत्येक सदस्य देख सकता है
- 2 एक्सीडेंटल क्लेम मृतक नॉमिनी सहयोग परमानेंट 100% डिसेबिलिटी गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट दावा वेबसाइट के माध्यम से नॉमिनी अथवा सदस्य करेगा जिसकी सूची बनती जाएगी इससे वेबसाइट विजिट करने वाला व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है
- 3 एक्सीडेंटल क्लेम, मृतक नॉमिनी ,परमानेंट 100% डिसेबिलिटी ,गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग की सूची अलग-अलग प्रदर्शित होगी
- 4 वेरिफिकेशन की संपूर्ण प्रक्रिया वेबसाइट में प्रदर्शित होती रहेगी वैलिड सूची और इनवेलिड सूची वेबसाइट में प्रदर्शित होती रहेगी वैलिड होने और इनवेलिड होने का कारण भी वेबसाइट में देखा जा सकता है
- 5 वैलिड होने और इनवेलिड होने का लेटर नियम सहित वेबसाइट में अपलोड करने के साथ-साथ परिवार के सदस्य को भेजा जाएगा
- 6 एक्सीडेंटल क्लेम की धनराशि सीधे सदस्य अथवा नॉमिनी के खाते में प्रेषित की जाएगी
- 7 कंप्लेन और सजेशन सदस्य द्वारा वेबसाइट के माध्यम से ही किया जा सकता है किसान मजदूर यूनियन ट्रस्ट द्वारा की गई कार्यवाही को वेबसाइट पर देखा जा सकता है